भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1696**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 10 फरवरी 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात संवर्धन मिशन

1696. **श्री दिलेश्वर कामैत:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात संवर्धन मिशन वैश्विक बाजारों में निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है;

(ख) उक्त मिशन को लागू करने के लिए कुल कितनी निधि स्वीकृत की गई है;

(ग) 'निर्यात प्रोत्साहन' नामक उप-योजना के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को व्यापार, वित्त तथा अन्य सहायता उपायों तक पहुंच किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) - केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवम्बर 2025 को **निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम)** स्कीम को मंजूरी प्रदान की है जिसका उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और वैश्विक बाजारों में निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को लक्षित सहायता प्रदान करना है।

निर्यात संवर्धन मिशन दो एकीकृत उप-स्कीमों के माध्यम से संचालित होगा:

- निर्यात प्रोत्साहन, ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, निर्यात ऋण के लिए आनुषंगिक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण और निर्यात विविधीकरण के लिए ऋण प्रोत्साहन सहायता जैसे साधनों के माध्यम से व्यापार हेतु वित्त तक पहुंच बनाने में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है; और

- निर्यात दिशा- निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिग और पैकेजिंग, बाजार पंहुच पहल, निर्यात लॉजिस्टिक्स तथा भंडारण, अंतर्देशीय परिवहन सहायता और व्यापार आसूचना जैसे अन्य व्यापार एनेबलर्स पर ध्यान केन्द्रित करती है।

(ख) - निर्यात संवर्धन मिशन को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों के लिए कुल 25,060 करोड़ रूपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। यह पूरे भारत में निर्यातकों के लिए उपलब्ध है।

(ग) एवं (घ) - निर्यात प्रोत्साहन उप-स्कीम विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातकों के लिए ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, निर्यात ऋण के लिए आनुषंगिक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता और निर्यात विविधीकरण के लिए ऋण में वृद्धि करने संबंधी सहायता को कवर करने वाली पांच विशिष्ट मध्यस्थताओं के माध्यम से व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करती है।

अब तक, एमएसएमई के लिए निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत पूर्व और पश्च पोतलदान निर्यात ऋण के लिए ब्याज सहायता और निर्यात ऋण मध्यस्थताओं के लिए आनुषंगिक सहायता को संचलित किया गया है।

****